प्रतिलिपि :– पत्रांक प.4 (2) शिक्षा–1/2004 पार्ट जयपुर दिनांक 11–7–2005 ओर से उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

विषय :– स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित कम्प्यूटर शिक्षा के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम 55 के तहत प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के क्रम में राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर व निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर के माध्यम से संचालित कम्प्यूटर शिक्षा के संबंध में समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों में आंशिक संशोधन कर नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परियोजना के फेज–I, II के सभी विद्यालयों में सत्र 2005–06 की जुलाई माह से कक्षा 9 व 10 में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य एंव कक्षा 11 व 12 में ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित होगी ।
2. कम्प्यूटर शिक्षा शुल्क गत वर्ष की भांति सत्र 2005–06 में भी संबंधित जिले की स्वीकृति दर के अनुरूप होगा, लेकिन छात्र–छात्राओं से निर्धारित शुल्क की आधी राशि ही दो छमाही किश्तों (माह जुलाई एंव जनवरी) में वसूल की जाएगी और आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी । राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली आधी राशि की प्रक्रिया के संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश जारी किए जा रहे हैं ।
3. कम्प्यूटर शिक्षा संबंधी मापदण्डो में कमी पाए जाने पर गत वर्ष का बकाया एवं चालू सत्र का भुगतान विद्यालय विकास समिति द्वारा संलग्न परिशिष्ट "अ" में वर्णित कटौतियों के दिशा–निर्देशानुसार किया जाएगा ।
4. छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा की वार्षिक परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और प्राप्तांक अंक तालिका में दर्ज किए जाएंगें लेकिन कम्प्यूटर शिक्षा के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं किए जाएंगें और इसमें उत्तीर्ण होना भी आवश्यक नहीं होगा ।
5. कम्प्यूटर शिक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर प्रति माह निम्न अधिकारियों/एजेन्सियों की बैठक रखी जाकर समस्या का निराकरण किया जाएगा :–
   - A संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, अध्यक्ष
   - B जिले के दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह तय करेगें)
   - C संबंधित एजेन्सी का प्रतिनिधि

   जिन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर नहीं हो सकेगा, उन्हें राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6. कम्प्यूटर शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न अधिकारियों की राज्य स्तरीय कम्प्यूटर शिक्षा समस्या निराकरण समिति का गठन किया जाता है :–
   - A निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
   - B उप शासन सचिव, प्रथम, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर
   - C सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर